प्रेस विज्ञप्ति

13.11.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने **2020** की डब्ल्यूपी (सीआर) **31** में दिनांक **11.11.2024** के आदेश के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए हीरा समूह की कंपनियों के वास्तविक निवेशकों को संपत्तियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह ईडी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लगातार दलील दिए जाने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि नोहेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में ठगे गए निवेशकों को पर्याप्त न्याय मिले।

ईडी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनकी प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख के खिलाफ भोले-भाले लोगों को धोखा देने और उनसे हजारों करोड़ रुपये वसूलने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है।

ईडी की जांच से पता चला है कि निवेशकों से एकत्र किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा नोहेरा शेख, उनके रिश्तेदारों/सहयोगियों और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पर बड़ी अचल और चल संपत्तियों को इकट्ठा करने के लिए डायवर्ट किया गया था।

जांच के दौरान, ईडी ने पहले नोहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य द्वारा अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित **400** करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की थी। ईडी द्वारा जारी अस्थायी कुर्की आदेशों की पुष्टि न्यायनिर्णन प्राधिकारी (पीएमएलए) द्वारा की गई थी। इस मामले में ईडी ने पहले नोहेरा शेख को गिरफ्तार किया था और माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), हैदराबाद के समक्ष एक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष **2020** की डब्ल्यूपी (सीआर) **31** में सुनवाई के दौरान, ईडी ने निवेशकों को वापस करने के उद्देश्य से कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी की अनुमति के लिए प्रार्थना की थी। माननीय न्यायालय के निर्देश पर, ईडी ने आक्षेपित संपत्तियों का व्यापक सत्यापन अभ्यास किया और नौहेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ की गई जांच का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया, जिसमें **03.08.2024** को नौहेरा शेख और सहयोगियों/रिश्तेदारों से जुड़े परिसरों में की गई तलाशी के परिणाम शामिल हैं, ताकि जमा राशि के धोखाधड़ी से संग्रह और चल और अचल संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग को प्रदर्शित किया जा सके।

प्रवर्तन निदेशालय के प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निवेशकों के दावों के निपटान के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई नोहेरा शेख की दो संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी है। इसके अलावा, ईडी के अनुरोध पर, माननीय न्यायालय ने नोहेरा शेख को दो सप्ताह की अवधि के भीतर सभी ऋणभारों से मुक्त उसके स्वामित्व वाली अन्य संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है, जिसके बाद ईडी उन संपत्तियों को भी नीलामी के लिए आगे बढ़ाएगा और निवेशकों के बीच वितरण के लिए अधिकतम राशि वसूलने का प्रयास करेगा। इसके अलावा, माननीय न्यायालय ने नोहेरा शेख को तीन महीने की अवधि के भीतर ईडी के पास 25 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।

यह ईडी के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि उनके सही दावेदारों को संपत्तियों को वापस किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध की आय प्रभावित लोगों को वापस कर दी जाए। ईडी वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखता है।

आगे की जांच प्रगति पर है।